



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

“वन धन भवन” सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर

फोन नंबर 0771 - 2513100 से 2513110

E-mail: mfpfed.cg@nic.in;

Website: www.cgmfpfed.org

संशोधन क्रमांक - 01 दिनांक 17.10.2022

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 तेन्दू पत्ता सीजन में संग्रहित एवं गोदामीकृत तेन्दू पत्ते के विक्रय हेतु ऑनलाईन निविदा अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2022)-VI दिनांक 26.08.2022 की ई-निविदा दिनांक 18.10.2022 से 21.10.2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

संग्रहण वर्ष	लॉट क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	समिति का नाम	कॉलम क्रमांक	मुद्रित प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि	भाषा
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	30(ब)	सुकमा	260-कोन्टा	6	लघु वनोपज संघ गोदाम	वन धन केन्द्र	हिन्दी एवं अंग्रेजी
2022	31(अ)	सुकमा	260-कोन्टा	6	लघु वनोपज संघ गोदाम	वन धन केन्द्र	हिन्दी एवं अंग्रेजी
2022	31(ब)	सुकमा	260-कोन्टा	6	लघु वनोपज संघ गोदाम	संघ गोदाम	हिन्दी एवं अंग्रेजी
2022	31(अ)	सुकमा	260-कोन्टा	5	सुकमा	दुब्बाटोटा	हिन्दी एवं अंग्रेजी
2022	31(ब)	सुकमा	260-कोन्टा	5	सुकमा	दोरनापाल	हिन्दी एवं अंग्रेजी

(एस.एस.बजाज)

विशेष प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर
रायपुर, दिनांक 17/10/2022

पृ. क्रमांक/MFP 02/TP/2022/ 15183
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक, (छत्तीसगढ़)। उक्त संशोधन संघ के वेबसाईट www.cgmfpfed.org में अपलोड की गई है। संशोधन की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्था करें। कृपया अपने अर्धीनस्थ प्रबंध संचालक, जिला यूनियनों को भी निर्देशित करें कि वेबसाईट से संशोधन की प्रति डाउनलोड कर कार्यालय उपयोग हेतु प्राप्त करें।
- समस्त प्रबंध संचालक, (प्रबंध संचालक सुकमा को छोड़कर) जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या. छत्तीसगढ़।
- प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या. सुकमा के पत्र क्रमांक 2274 दिनांक 13.10.2022 एवं 2306 दिनांक 15.10.2022 के संदर्भ में प्रेषिता आपके द्वारा वर्ष 2022 तेन्दू पत्ता सीजन में संग्रहित एवं गोदामीकृत तेन्दू पत्ते लॉट क्रमांक 30(ब), 31(अ), 31(ब) के गोदाम का नाम एवं स्थान परिवर्तन किया गया है जो अत्यंत लापरवाहीपूर्वक विलम्ब से किया गया है। इस संबंध में प्रथम चक्र की निविदा दिनांक 20.09.2022 से 23.09.2022 भी आयोजित की गई थी, जिसमें पत्र क्रमांक 13219 दिनांक 13.09.2022 से लॉट सूची में दिनांक 14.09.2022 तक संशोधन

चाहा गया था परन्तु आपके द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रेषित की गई। द्वितीय चक्र की निविदा दिनांक 18.10.2022 से 21.10.2022 हेतु भी पत्र क्रमांक 14739 दिनांक 10.10.2022 की लॉट सूची में संशोधन दिनांक 12.10.2022 तक चाहा गया था जो आपके द्वारा अत्यंत विलम्ब से भेजा गया है। आपके द्वारा पूर्व में दी गई जानकारी के आधार पर बीमा कराया गया है। उक्त लॉटों में अगर कोई क्षति होती है तो इसके लिये उप प्रबंध संचालक व लेखापाल उत्तरदायी होंगे। विलम्ब से एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी भेजने के दोषी अधिकारी व कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उन पर कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन दिनांक 30.10.2022 तक शीघ्र इस कार्यालय को भेजे।

4. भण्डारण कक्ष, संघ मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया बीमा पॉलिसी में गोदाम का नाम व स्थान शीघ्र संशोधित करावें।
5. कम्प्यूटर कक्ष, संघ मुख्यालय रायपुर, संघ के वेबसाइट पर अपलोड करें।

विशेष प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर